Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor No.F(461)VCS/RAJUVAS/RTI/2014/367 Dated: 13-11-2014

श्री प्रदीप सोनी,
सदर बाजार, बोंली,
सवाई माधोपुर–322023

Regd.

विषयः–अपील सं. 58/2014 श्री प्रदीप सोनी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 30.10.2014 की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः– निर्णय प्रति।

Sd/-
निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 30.10.2014 की प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, ए.जी.बी., पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी करने का कष्ट करावें।

निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMAT

Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या *58/2014*

श्री प्रदीप सोनी ....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर .... उत्तरदाता

<u>उपस्थितिः–</u>

(1) अपीलार्थी– अनुपस्थित।

(2) उत्तरदाता– डॉ. राकेश राव, कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर। (उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती दिनांकः 30.09.2014
(ii) निर्णय दिनांकः 30.10.2014

<u>निर्णय</u>

अपीलार्थी प्रदीप सोनी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2014 प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया जिसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक एफ. (461)राजूवास/रजि./आरटीआई/2014/304 दिनांक 02.09.2014 प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2014 का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2014 तथा लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रत्युतर दिनांक 02.09.2014 का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर
1	Score card of each applicant who appeared in recruitment of A.P. post in V-Micro Bio.	आप द्वारा वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा स्वयं के प्राप्तांकों की सूचना ही प्राप्त की जा सकती है। वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना है जो बिना व्यापक जनहित के प्रकट नहीं की जा सकती तथा आप द्वारा कोई जनहित प्रकट नहीं किया है। अतः तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना होने के कारण वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नही हैं।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 02.09.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 18.10.2014 से 29.10.2014 तक विश्वविद्यालय में दीपावली अवकाश होने के कारण सुनवाई हेतु दिनांक 30.10.2014 निर्धारित की गई। अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13.10.2014 प्रेषित कर सुनवाई दिनांक की सूचना प्रेषित की जाकर व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प भी दिया गया। अपीलार्थी सुनवाई दिवस पर उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी की ओर से धर्मेन्द्र शर्मा अधिवक्ता द्वारा बतौर प्रतिनिधि उपस्थिति की अनुमति चाही। इसी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य आरटीआई प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रस्तुत अन्य अपील जो कि अपील संख्या 59/2014 पर दर्ज की गई है, में अपीलार्थी द्वारा श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया गया है लेकिन इस अपील के लिए श्री शर्मा के नाम लिखित में कोई अधिकार पत्र नहीं होने तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा श्री शर्मा को बतौर प्रतिनिधि उपस्थित होने के संबंध में अनुमति दिए जाने के पर आपत्ति किए जाने कारण श्री शर्मा, अधिवक्ता को बतौर अपीलार्थी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई।

अपीलार्थी द्वारा अपील में कथन किया है कि वांछित की गई सूचना लोक दस्तावेज (Public Document) है तथा मांगी गई सूचना कोई भी ले सकता है। सूचना का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है अतः सूचना नहीं उपलब्ध करवाना अधिकारों का हनन है। इसके विपरीत डॉ. राकेश राव, लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया कि Score Card अभ्यर्थी के प्राप्तांक दर्शाता है एवं अंकतालिका के समकक्ष होने के कारण इसमें संबंधित आवेदक के संबंध में व्यक्तिगत सूचनाएं अंकित होती है तथा बिना व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के तृतीय पक्ष से जुड़ी व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाएं प्रकट नहीं की जा सकती तथा अपीलार्थी द्वारा न तो अपील में तथा न ही सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई जनहित प्रकट किया गया है। डॉ. राव ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वांछित सूचना लोक दस्तोवज नहीं है क्योंकि सामान्यतः लोक दस्तावेज उसे माना जाता है जो कि लोक सेवक द्वारा सामान्य कर्त्तव्य पालन एवं लोक क्रिया कलापों के दौरान तैयार किया जाता है जबकि Score Card में पूर्णतः व्यक्तिगत सूचनाएं अंकित होती है। अतः तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत सूचना होने के कारण वांछित सूचना नहीं उपलब्ध करवायी जा सकती। लोक सूचना अधिकारी डॉ. राव द्वारा निम्नांकित नजीरें प्रस्तुत की गयी :-

1. अपील संख्या 2942/2013 अम्बुज कुमार शर्मा बनाम कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में राज. सूचना आयोग, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2013.
2. एस.एल.पी. 27734/2012 गिरीश रामचन्द्र देशपांडे बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012.
3. सिविल अपील संख्या 6362/2013 यू.पी.एस.सी. बनाम गौरहरि कामिल में माननीय सवौच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2013.

मैनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एंव लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं अपील प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा डॉ. राव, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं नजीरों का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नजीरों में सिविल **अपील सं. 6362/13 (SLP No. 16870/12 UPSC V/s Gourhari Kamila)** में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2013 से उत्तरदाता के सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में UPSC द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर को विधि सम्मत् माना जिसमें अभ्यर्थीयों के

अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति तथा M.Sc., B.Sc. की डिग्रीयों की प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(e) तथा 8(1)(j) के प्रावधानों अनुसार उपलब्ध नहीं करवायी गयी। **अपील संख्या 2942/2013 अम्बुज कुमार शर्मा बनाम कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर** के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2013 माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर द्वारा यह अवधारित किया गया कि सूचना के इच्छुक नागरिक किसी तृतीय पक्षकार से संबधित न तो उत्तर पुस्तिका देख सकता है न ही प्रति प्राप्त करने का हक रखता है। **एस.एल.पी. सिविल संख्या 27734/2012 गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम मुख्य सूचना आयुक्त** के प्रकरण में पारित निर्णय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के तृतीय पक्ष में जुड़ी निजी सूचनाएं प्रकट नही की जा सकती। मैं डॉ. राव के इस तर्क से पूर्णतया सहमत हूं कि सामान्यतः लोक दस्तावेज उसे माना जा सकता है जो कि लोक सेवक द्वारा सामान्य कर्त्तव्य पालन एवं लोक क्रिया कलापों के दौरान तैयार किया जाता है। लेकिन Score Card में अभ्यर्थी के संबंध में पूर्णतया व्यक्तिगत सूचनाएं अंकित होती है इस कारण Score Card को लोक दस्तावेज नहीं है। यह विभिन्न निर्णयों से सुस्थापित हो चुका है कि तृतीय पक्ष से संबधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना बिना व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रति नहीं दी जा सकती तथा धारा 8 (1)(J) के अनुसार भी तृतीय पक्ष से जुड़ी व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाएं प्रकट नहीं की जा सकती। मेरे मत में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई नजीरे भी हस्तगत अपील में अन्तर्निहीत विवाद्यक पर पूर्णतया लागू होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभय पक्षों को प्रेषित की जावे।

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर